व् अदालत् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा।

आर0 ई0 आर0 केश सं0–17 / 2016–17

पगान मुर्मू

बनाम्

सिबल टुडू

1/2/2020

–: आदेश :–

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्त्तमान वाद की प्रक्रिया आवेदक पगान मुर्मू, पे0–स्व0 रावण मुर्मू, सा0–केन्दुआ, थाना–देवडॉड़, जिला–गोड्डा के आवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत् मौजा–केन्दुआ के जमाबंदी सं0–10, दाग नं0–90, रकवा–00–02–10 धुर जमीन से विपक्षी सिबल टुडू, पे0–स्व0 सोम टुडू, सा0–केन्दुआ, थाना–देवडॉड़, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने के लिए प्रारंभ किया गया है।

आवेदक का आवेदन है कि मौजा–केन्दुआ, थाना नं0–192, जमाबंदी सं0–10 की जमीन गत सर्वे सेट्लमेंट पर्चा में रघु मुर्मू वो कान्दना मुर्मू वो मंगल मुर्मू, पे0–मसांग मुर्मू वो रघुनाथ मुर्मू, पे0–बड़का मुर्मू वो रघु मुर्मू, पे0–सुफल मुर्मू वो रघु मुर्मू, पे0–जोल्हा मुर्मू वो चुड़का मुर्मू, पे0–रघुनाथ मुर्मू के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत रघु मुर्मू को छोड़कर अन्य सभी जमाबंदी रैयतों के नावल्द् फौत कर जाने के कारण प्रश्नगत जमाबंदी की जमीन रघु मुर्मू के दखल में आया। रघु मुर्मू को एक पुत्र टुकाय मुर्मू हुए। टुकाय मुर्मू को तीन पुत्र क्रमशः रावण मुर्मू, बैजनाथ मुर्मू वो गुरू मुर्मू हुए। रावण मुर्मू को दो पुत्र पगान मुर्मू एवं मोतीलाल मुर्मू हुए। मोतीलाल मुर्मू नावल्द् फौत कर गये है। इस प्रकार आवेदक गत जमाबंदी रैयत रघु मुर्मू के परपोता है। उनका आगे कथन है कि प्रश्नगत दाग नं0–90 की जमीन गत सर्वे के अनुसार कृषि योग्य जमीन है और उक्त जमीन को विपक्षी ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 20 का उल्लंघन कर अवैध ढंग से कब्जा कर लिया है। उन्होनें विपक्षी को प्रश्नगत जमीन से उच्छेद करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी का कथन है कि वर्त्तमान वाद चलने योग्य नहीं है। क्योंकि प्रश्नगत जमीन का स्वरूप कृषि योग्य जमीन से बदल कर आवासीय हो गया है। उनका आगे कथन है कि प्रश्नगत जमीन गत जमाबंदी रैयत रघु मुर्मू ने वर्ष 1936 ई0 में कुर्फा के द्वारा विपक्षीके परदादा को दिया था। उसी समय से विपक्षी के परदादा ने उसपर आवासीय मकान बनाया तथा सपरिवार उसमें रहने लगे। कालान्तर में विपक्षी उसपर सपरिवार रहने लगें। इस प्रकार प्रश्नगत जमीन का स्वरूप आवासीय है और आवासीय जमीन से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 20 के तहत् उच्छेद नहीं किया जा सकता है। उन्होनें आवेदक के आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

पार पृष्ठ में वर्णित तथ्यों एवं दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–केन्दुआ, नं0–192, जमाबंदी सं0–10 रघु मुर्मू वो कन्दना मुर्मू वो मंगल मुर्मू, पेसरान–मसांग मुर्मू वो रघुनाथ मुर्मू वल्द बड़का मुर्मू वो रघु मुर्मू वल्द सुफल मुर्मू वो रघु मुर्मू वल्द जोल्हा मुर्मू वो चुड़का मुर्मू वल्द रघुनाथ मुर्मू के नाम से गत सर्वे सेट्लमेंट पर्चा में दर्ज है। उक्त जमाबंदी के दाग नं0–90, रकवा–00–02–10 धुर जमीन विपक्षी ने वर्ष 1936 ई0 में कुर्फा से प्राप्त करने का दावा किया है। लेकिन उन्होनें प्रतिकूल प्रभाव से दखल का कोई भी साक्ष्य जनित कागजात दाखिल नहीं किया है। विपक्षी का दावा मौखिक है। यह संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 20 का उल्लंघन का मामला प्रतीत होता है।

अतः संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मौजा–केन्दुआ, थाना नं0–192, दाग नं0–90, रकवा–00–02–10 धुर जमीन से विपक्षी को उच्छेद किया जाता है एवं अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट को आदेश दिया जाता है कि भूमि पर आवेदक को दखल दिहानी दिला दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।